भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
(छात्रवृत्ति प्रभाग)

<u>आईसीसीआर छात्रवृत्ति के तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सामान्य दिशानिर्देश</u>

1. **ए2ए पोर्टल पर आवेदनों को दायर करने के लिए क्या करें और क्या न करें**

(i) सभी आवेदन केवल ए2ए आईसीसीआर छात्रवृत्ति पोर्टल (http://a2ascholarships.iccr.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।

(ii) विदेशों में भारतीय मिशनों/आईसीसीआर/विश्वविद्यालयों में आवेदन वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(iii) आवेदन स्थानीय रूप से (भारत में) स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(iv) ए2ए पोर्टल/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन को अस्वीकृति किए जाने से बचने के लिए आवेदन में प्रत्येक विवरण पूर्ण होना चाहिए।

(v) दस्तावेजों के स्थानीय भाषा में उपलब्ध होने की स्थिति में, आवेदकों से अनुरोध है कि वे अंग्रेजी में इन दस्तावेजों के अनुवाद की प्रमाणित प्रतियां अपलोड करें। अंग्रेजी प्रतिलेख की अनुपलब्धता के मामले में, आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

(vi) डॉक्टोरल' पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को आवेदन के साथ एक 'सिनाप्सिस' (सारांश) प्रस्तुत करना चाहिए।

(vii) प्रदर्शन कला पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के इच्छुक आवेदकों को अपने प्रदर्शन का नवीनतम वीडियो/ऑडियो/यूट्यूब लिंक अपलोड करना चाहिए।

(viii) जो छात्र पहले से ही भारत में स्नातकपूर्व (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं और जिनकी आगे अध्ययन करने का मंशा हैं, उन्हें अपने आवेदनों को संसाधित करने के लिए ए2ए पोर्टल के माध्यम से नए सिरे से आवेदन करना होगा, क्योंकि आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें वास्तविक रूप से संसाधित नहीं किया जाएगा।

(ix) आईसीसीआर छात्रवृत्ति केवल भारत के राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों अथवा भारत के राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध और मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए है। आईसीसीआर के पैनल में शामिल ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है।

(x) आईसीसीआर, निजी महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश नहीं करता है।

(xi) छात्र के पास ए2ए छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से वरीयता क्रम में अपनी पसंद के पांच विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आवेदन करने का विकल्प है।

(xii) इंजीनियरिंग/विज्ञान में अध्ययन करने के लिए, छात्रों द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान का अध्ययन किया होना चाहिए।

(xiii) जीव विज्ञान आधारित विज्ञान विषयों में, छात्रों को उच्च माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए।

(xiv) विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों द्वारा अस्वीकृति से बचने के लिए आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययन किए गए विषयों के आधार पर अपने विषय का चुनाव सावधानी से करें।

(xv) स्नातकपूर्व स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 10+2 अर्थात; (12 वर्ष) की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करना अनिवार्य है। इसलिए, यह आवश्यक है कि स्नातकपूर्व स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले छात्र ने 12 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा पूर्ण की हो।

(xvi) आईसीसीआर के साथ पैनलबद्ध विश्वविद्यालयों की सूची, जहां आवेदक आवेदन कर सकते हैं, ए2ए पोर्टल पर उपलब्ध है।

(xvii) पेशकश किए गए पाठ्यक्रमों की सूची और इन विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश के लिए मानदंड/पूर्वापेक्षाएँ, आवेदक द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। यह आवेदनों को संसाधित करने में समय की विलम्ब से बचने के लिए है। ए2ए पोर्टल में प्रत्येक विश्वविद्यालय और उनके द्वारा पेशकश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के वेबलिंक हैं।

(xviii) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए सभी निर्देशों को पढ़ने और कोई फ़ील्ड खाली न छोड़ेने का परामर्श दिया जाता है।

(xix) आईसीसीआर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के बाद विश्वविद्यालय/संस्थान या पाठ्यक्रम में परिवर्तन के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

(xx) छात्रों को उनके अध्ययन के साथ-साथ कोई अंशकालिक/पूर्णकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अथवा उनसे ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

2. विषयों, पाठद्यक्रमों तथा विश्वविद्यालयों का चयन

(i) विज्ञान/इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होने के लिए आवेदक द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए।

(ii) आवेदकों को अपनी विकल्पों का उल्लेख करते समय स्पष्ट रूप से उस पाठ्यक्रम का उल्लेख करना चाहिए जिसमें वे प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं।

(iii) विश्वविद्यालयों संबंधी विकल्प चुनने के लिए, आवेदक को विश्वविद्यालय की वेबसाइट या पात्र विश्वविद्यालयों की सूची का संदर्भ ग्रहण करना चाहिए। विश्वविद्यालयों की सूची ए2ए पोर्टल पर उपलब्ध है।

(iv) चूंकि आईआईटी एक अलग प्रक्रिया के माध्यम से बी.टेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देते हैं, इसलिए इसके लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति की पेशकश नहीं की जाती है।

(v) 'एमबीए' के लिए 'जीमैट' प्राप्तांक अनिवार्य है

(vi) आईसीसीआर 'कैजुअल रिसर्च'/डिप्लोमा/अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन स्वीकार नहीं करता है।

(vii) आईसीसीआर, एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश नहीं करता है। साथ ही, एकीकृत पाठ्यक्रम, जैसे की विधि में एकीकृत पाठ्यक्रम आदि की पेशकश नहीं की जाती है।
(viii) पीएचडी पाठ्यक्रमों के आवेदकों को शोध कार्य का सारांश (प्रस्ताव) अपलोड करना चाहिए।

3. शिक्षण का माध्यम और अंग्रेजी में दक्षता

(i) भारत के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। इसलिए, आवेदकों को इस सीमा तक अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि वे अंग्रेजी में धाराप्रवाह बोलने में सक्षम हों और बिना किसी कठिनाई के अंग्रेजी के पाठ को समझ सकें।

(ii) आवेदन पत्र भरते समय, आवेदक को ए2ए पोर्टल में उल्लिखित शीर्षकों/विषयों में से किसी एक पर अंग्रेजी भाषा में 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा।
(iii) अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा जैसे टीओएफईएल/आईएलईटीएस आदि में प्राप्तांकों का उल्लेख करने की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। केवल ऐसी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को ही भरा जाना चाहिए।

4. ए2ए पोर्टल पर एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

5. विदेशी छात्रों द्वारा भारत में अध्ययन करने के लिए पासपोर्ट होना भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों की अनिवार्य अपेक्षा है, जिसमें उन देशों के आवेदक भी शामिल हैं जिन्हें भारत की यात्रा के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

6. आवेदक की सफेद पृष्ठभूमि पर पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड की जानी चाहिए जिसमें उसके दोनों कानों दृश्यमान हों।

7. छात्र द्वारा एक बार आवेदन जमा किए जाने पर उसे सीधे चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थानों को ए2ए पोर्टल के माध्यम से भेजा जाएगा।

8. आवेदक द्वारा पाठ्यक्रम और विधा में प्रवेश की पात्रता हेतु आवेदन की संवीक्षा संबंधित विश्वविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा की जाएगी।

9. भारतीय विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान, स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय हैं और उनके अपने पात्रता मानदंड हैं। इसलिए, छात्रों को चयनित पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालयों के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। प्रवेश के संबंध में निर्णय पूर्ण रूप से संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान का होता है और इसलिए संबंध में आईसीसीआर

से पूछताछ नहीं की जानी चाहिए। जब तक विश्वविद्यालय, छात्रों के अपेक्षित दस्तावेजों की प्रामाणिकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट नहीं कर लेते, तब तक प्रवेश अनंतिम है। यदि आगमन पर, यह पाया जाता है कि छात्र के पास अपेक्षित मूल दस्तावेज नहीं हैं, जिसके आधार पर प्रवेश को अंतिम रूप दिया गया है, तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश दिए जाने से इनकार करने सहित सभी परिणामों के लिए छात्र स्वयं उत्तरदायी होंगे और छात्र को अपनी लागत पर अपने मूल देश वापस लौटना होगा। आईसीसीआर, ऐसे छात्र की वापसी के हवाई किराए पर होने वाले खर्च को वहन नहीं करेगा। अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययन आरंभ करने के लिए भारत आने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज लाने चाहिए:

(i) संबंधित विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा सत्यापन हेतु छात्रों के योग्यता से संबंधित मूल दस्तावेज।
(ii) मूल दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद।
(iii) अंतिम पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम की प्रमाणित प्रति।
(iv) उपयुक्त वीजा के साथ वैध पासपोर्ट। स्नातकपूर्व/ स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छात्र वीजा तथा पीएचडी संबंधी अध्ययन के लिए शोध वीजा।
(v) विदेश में संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा जारी छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का पत्र।
(vi) छात्र से यह वचनपत्र पर हस्ताक्षर लेना कि पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय जैसाकि संसूचित किया गया है स्वीकार्य है और वह प्रवेश के समय इनमें परिवर्तन के लिए अनुरोध नहीं करेगा/करेगी।
(vii) छात्र से यह वचनपत्र प्राप्त करना कि उन्होंने छात्रवृत्ति नियमावली 2022-23 में यथा विनिर्दिष्ट आईसीसीआर छात्रवृत्ति की निबंधन और शर्तों/ दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है [छात्रवृत्ति नियमावली के अद्यतन होने पर भी एक बार दिया गया वचन लागू होगा (पैरा 36 के समान उपबंधों के अनुसार)], आईसीसीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

10. एक या एक से अधिक भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र को प्रवेश दिया जाना, आईसीसीआर प्रायोजित छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की गारंटी नहीं देता है। संबंधित देश के लिए भारतीय मिशन/पोस्ट, आवेदक को छात्रवृत्ति प्रदान करने के बारे में निर्णय करेगा और छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने संबंधी पत्र जारी करेगा। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट का निर्णय अंतिम होता है और इससे संबंधित किसी भी प्रश्न को उनके साथ उठाया जाना चाहिए।

11. इस बात को दोहराया जाता है कि जब तक विश्वविद्यालय मूल दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर लेते, तब तक प्रवेश अनंतिम रहेगा। यदि मूल दस्तावेज, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनंतिम प्रवेश प्रदान किया गया है, सही नहीं पाए जाते हैं, तो प्रवेश प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा और छात्र(त्रों) को अपने खर्च पर अपने देश लौटना होगा। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (एआईयू) समकक्षता प्रमाणपत्र अपेक्षित होने की स्थिति में छात्र द्वारा एआईयू समकक्षता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही छात्रवृत्ति के आवंटन हेतु प्रस्ताव पत्र को संसाधित किया जाना चाहिए। एक बार छात्रवृत्ति पर विचार किए जाने के बाद, भारतीय मिशन/ पोस्ट आवेदक द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए 'स्कॉलरशिप अवार्ड' के साथ प्रवेश संबंधी प्रस्ताव जारी करेगा। प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिए आवेदक के पास 07 दिन का समय होगा। यदि आवेदक प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहता है, तो आवेदक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक 'आटोमेटिड' स्वीकृति पत्र, आगे की प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर जमा किया जाएगा।

12. स्वीकृति जमा करने के बाद, आवेदक को अपेक्षित दस्तावेजों और आईसीसीआर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के पत्र के साथ उपयुक्त छात्र/शोध वीजा जारी करने के लिए संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट से संपर्क करना चाहिए।

13. एक बार भारतीय वीजा प्रदान किए जाने के पश्चात्, आवेदक द्वारा वीजा की एक प्रति ए2ए पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।

14. प्रस्थान पूर्व औपचारिकताएं

(i) छात्र को भारतीय मिशन/पोस्ट से उस विश्वविद्यालय/कॉलेज जहां प्रवेश की पुष्टि की गई है, के निकटतम हवाई अड्डे तक टिकट बुक करने (यदि छात्रवृत्ति में पेशकश की गई है) के लिए अनुरोध करना चाहिए। टिकट बुक करते समय, छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 'कनेक्टिंग फ्लॉइट्स' के समय के बीच पर्याप्त अंतर हो ताकि विशेषरूप से कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों या नियमों के मद्देनजर, 'ट्रांज़िट' संबंधी औपचारिकताओं, को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय हो। ऐसे घटनाएं देखने को मिली हैं जब अपर्याप्त ठहराव के कारण छात्रों की 'कनेक्टिंग फ्लॉइट' छूट गई।

(ii) छात्र को अनुमत सामान संबंधी नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सामान ले जाने की सीमा में अंतर हो सकता है। छात्रों को निचली श्रेणी (घरेलू/ अंतरराष्ट्रीय) की सीमा के बराबर सामान ले जाना चाहिए। किसी भी मामले में, अतिरिक्त सामान के कारण आईसीसीआर कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करेगा।

(iii) छात्र द्वारा टिकट खरीदे जाने के तुरंत बाद, उन्हें ए2ए पोर्टल पर अपनी यात्रा का विवरण अपलोड करना चाहिए ताकि संबंधित आईसीसीआर अंचलीय और उप अंचलीय कार्यालय को आवश्यक व्यवस्था करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। आदर्श रूप से, यात्रा से कम से कम 15 दिन पहले उड़ान विवरण की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। यदि 'एयरपोर्ट रिसेप्शन' सुविधा की आवश्यकता नहीं हो है, तो छात्रों को विशेषरूप से यह उल्लेख करना चाहिए कि आगमन पर उन्हें हवाई अड्डे पर किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है।

(iv) छात्रों को अपने आगमन के मार्ग में सभी संगत स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल/आवश्यकताओं को ध्यान से पढ़ना चाहिए जैसे आरटी-पीसीआर परीक्षण/ संगरोध संबंधी अपेक्षाएं और किसी भी जटिलता से बचने के लिए इनका पालन करना चाहिए। छात्र अपनी यात्रा के समय, संबंधित भारतीय मिशन/भारत से भारत में लागू होने वाले नवीनतम कोविड-19 नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोविड-19 के संबंधित परीक्षणों सहित कोविड-19 पर होने वाले ऐसे सभी व्यय आईसीसीआर द्वारा वहन नहीं किए जाएंगे।

(v) जहाँ भी आवश्यक हो, छात्रों को 'पीत ज्वर'/ऐसे अन्य टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ रखने चाहिए।

(vi) छात्रों को परामर्श दिया जाता है कि तत्काल स्वरूप के व्यय की पूर्ति हेतु अपने साथ कम से कम 700 अमेरिकी डॉलर अथवा 50,000 /- भारतीय रुपये के समतुल्य मुद्रा रखें। ऐसा सुझाव इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रथम आगमन और प्रथम छात्रवृत्ति की प्राप्ति के बीच कुछ समय लग सकता है।

(vii) आगमन पर, छात्रों को आईसीसीआर के संबंधित अंचलीय /उप अंचलीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए और वहां अपना पंजीकरण कराना चाहिए। छात्रों को भारत में अपने आगमन के 14 दिनों की अवधि के भीतर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा। उपयुक्त उल्लिखित सभी अपेक्षाएं, विश्वविद्यालय/संस्थान, जिसमें छात्र ने दाखिला प्राप्त किया है, उससे संपर्क करने के अतिरिक्त है। एक बेहतर पद्धति के रूप में, छात्रों को भारत में आगमन पर, भारत में अपने ठहरने के बारे में भारत में मौजूद अपने संबंधित दूतावास/राजनयिक प्रतिनिधि को भी सूचित करना चाहिए।

(viii) प्रत्येक छात्र को कम से कम पांच लाख रुपये मूल्य अथवा उसके समकक्ष की एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी खरीदनी होगी। आईसीसीआर के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रों के लिए (उनकी लागत

पर) चिकित्सा बीमा अनिवार्य है। छात्र, प्रस्थान से पूर्व अपने देश में, अथवा भारत में आगमन पर चिकित्सा बीमा खरीद सकते हैं। बीमा पैकेज का चयन करना छात्रों पर निर्भर है। भारत में आईसीसीआर छात्रवृत्ति के दौरान, कोई चिकित्सा बीमा नहीं होने की स्थिति में, आईसीसीआर, विद्वान के चिकित्सा खर्च को वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। आपातकाल में, छात्र को भारत में स्थित अपने संबंधित दूतावास/राजनयिक प्रतिनिधि से संपर्क करना चाहिए।

15. एक बार यात्रा की व्यवस्था पूर्ण होने पर, आवेदक द्वारा ए2ए पोर्टल पर 'यात्रा विवरण' भरा जाना चाहिए। भारत में आगमन पर स्वागत संबंधी व्यवस्था करने के लिए आईसीसीआर अंचलीय/उप अंचलीय कार्यालय को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार (आईएसए) को एक ई-मेल भी भेजा जाना चाहिए। यह भारत के लिए प्रस्थान करने से कम से कम 15 दिन पहले किया जाना चाहिए ताकि पारगमन आवास विवरण और उनका स्वागत करने वाले संबंधित व्यक्ति(यों) के संपर्क ब्योरे, के बारे में छात्र को सूचित किया जा सके।

16. छात्र को परामर्श दिया जाता है कि वह भारत आगमन पर एक स्थानीय मोबाइल सिम-कार्ड खरीद ले।

17. आगमन पर छात्र को एक स्वागत किट सौंपी जाएगी। किट में आंचलिक / उप अंचल कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार (आईएसए), एफआरआरओ, पते, ईमेल, मोबाइल नंबर सिटी गाइड बुकलेट, छात्रवृत्ति योजना के वित्तीय मानदंड जिसमें छात्र नामांकित है, बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया और अंचलीय / उप अंचलीय कार्यालय द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी होगी।

18. अपने आगमन के तुरंत बाद, छात्रों को बैंक में एक खाता खोलना होगा जिसके लिए बैंक खाता खोलने का फॉर्म और आईसीसीआर के अंचलीय/उप-अंचलीय कार्यालय/ संबंधित विश्वविद्यालय से एक पत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में तत्काल बैंक खाता खोलने की सिफारिश की जाएगी। बैंक खाता खोलने के लिए छात्रों को अपने साथ पासपोर्ट आकार की फोटो लानी होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब तक बैंक खाता नहीं खोला जाता है तब तक छात्र को नकद या अन्यथा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए, छात्र को प्रारंभिक व्यय की पूर्ति करने के लिए ऊपर दिए गए परामर्श के अनुसार अपने पास न्यूनतम धन रखना चाहिए। एक बार बैंक खाता खोलने और आईसीसीआर के साथ पंजीकृत होने के बाद सीधे बैंक अंतरण के माध्यम से तीन माह की वृत्तिका/छात्रवृत्ति जारी की जाएगी।

19. अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, छात्र को निर्धारित प्रोफार्मा में 'ज्वाइनिंग रिपोर्ट' (जेआर) भरनी चाहिए और इसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार/विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित करवाना चाहिए। 'ज्वाइनिंग रिपोर्ट' में पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए शिक्षण शुल्क/अन्य अनिवार्य शुल्क संरचना से संबंधित कॉलम भरे जाएं और विश्वविद्यालय/संस्थान के आईएसए/एचओडी द्वारा प्रमाणित किए जाएं। 'ज्वाइनिंग रिपोर्ट' भरते समय, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, पाठ्यक्रम, महाविद्यालय के विवरण, पंजीकरण संख्या आदि से संबंधित विवरण अत्यंत सावधानी से भरने की सलाह दी जाती है।

20. सभी प्रकार से पूर्ण 'ज्वाइनिंग रिपोर्ट' को ए2ए पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए/ विश्वविद्यालय/संस्थान में शामिल होने के एक माह के भीतर संबंधित अंचलीय/उप अंचलीय कार्यालय में

जमा किया जाना चाहिए। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जब तक अंचलीय/उप अंचलीय कार्यालय द्वारा जेआर प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक अग्रिम वृत्तिका के अलावा, कोई अन्य धनराशि जारी नहीं की जाएगी।

21. आईसीसीआर नए आने वाले छात्रों के लिए उनके आगमन के पहले कुछ सप्ताहों के भीतर एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके पश्चात्, कुछ समय में अंचलीय/उप अंचलीय कार्यालय द्वारा संस्कृति समेकन कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

22. आईसीसीआर के अंचलीय/उप अंचलीय कार्यालयों में विदेशी छात्रों के लिए एक 'व्हाट्सएप समूह' है और आईसीसीआर इसके अथवा अन्य माध्यमों से नियमित आधार पर उनके संपर्क में रहेगा।

23. छात्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालय/ संस्थान के विभागाध्यक्ष/ आईएसए द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाणपत्र के साथ नियमित अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट/ सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम और वैध चिकित्सा बीमा पॉलिसी को आईसीसीआर अंचलीय/उप अंचलीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं, ताकि वृत्तिका आदि निर्बाध रूप से जारी की जा सके।

24. छात्रों को प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात्, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्रावास में रहने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, यदि वे निजी आवास में रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें एक शपथपत्र देना होगा कि वे स्वयं उनकी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि वे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्रावास में रह रहे हैं, तो उन्हें छात्रावास नीतियों का पालन करना होगा। छात्रावास के नियमों का पालन ना करने पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

25. विश्वविद्यालय/संस्थान, जहां नामांकन प्राप्त किया गया है, के बाहर के आवासीय पते की जानकारी आईसीसीआर अंचलीय/उप अंचलीय कार्यालय और एफआरआरओ को अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। आवास में परिवर्तन की स्थिति में, नए पते की सूचना तत्काल आईसीसीआर अंचलीय/उप अंचलीय कार्यालय और एफआरआरओ को भी दी जानी चाहिए।

26. आईसीसीआर के पास, छात्रवृत्ति नीति के साथ-साथ छात्रवृत्ति की वित्तीय शर्तों में बदलाव करने का अधिकार है और जब आईसीसीआर द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाए तो आईसीसीआर अंचलीय/उप अंचलीय कार्यालय को निर्णय की जानकारी/प्रसार किया जाएगा, जिसे प्रत्येक वर्तमान आईसीसीआर विद्वान को मानना होगा।

27. कोई भी छात्र आपराधिक/असामाजिक गतिविधियों या राजनीतिक गतिविधियों या भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा अथवा संबंधित भारत के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगा। यदि किसी छात्र को ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है और परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, तो आईसीसीआर छात्रवृत्ति तुरंत बंद कर दी जाएगी।

28. संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा सभी सेमेस्टर/अंतिम वर्ष के समेकित परिणामों की घोषणा के बाद छात्रवृत्ति की अवधि तीन सप्ताह से अधिक नहीं हो सकती है।

29. नियमित पीएचडी छात्र के लिए छात्रवृत्ति की अवधि 3 वर्ष है। प्रत्येक शोध छात्र का यह प्रयास होना चाहिए कि नियमित पीएचडी अध्ययन अवधि के तीन वर्ष के भीतर शोध प्रबंध संबंधी कार्य पूर्ण कर लें। किसी भी मामले में, मौजूदा आईसीसीआर मानदंड पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक सीमित करते हैं। इसके अतिरिक्त, आईसीसीआर शोध प्रबंध को 'डिफेंड' करने के लिए/ पीएचडी हेतु मौखिक परीक्षा के लिए अधिकतम 6 माह की छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

30. इस बात पर बल दिया जाता है कि आईसीसीआर छात्रवृत्ति केवल भारत में नामांकित पाठ्यक्रम की अवधि हेतु इस प्रकार अवार्ड प्राप्त व्यक्तिगत आवेदक के लिए है। वैसे, आईसीसीआर विद्वान से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिए, आईसीसीआर किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, उत्तरदायी नहीं है।
31. छात्रों को भारत के भीतर अपनी आवाजाही के बारे में अंचलीय/उप अंचलीय कार्यालय को सूचित करते रहना चाहिए। यदि, छात्र अपने देश/विदेश के लिए प्रस्थान करते हैं, तो अंचलीय/उप अंचलीय कार्यालय को जानकारी दी जाए अथवा अथवा अनुमति प्राप्त की जाए।

32. छात्रवृत्ति का संवितरण छात्र द्वारा पाठ्यक्रम में नियमित प्रगति के आधार पर किया जाएगा। यदि छात्र निर्धारित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है और अध्ययन/कार्यक्रम के अगले स्तर पर प्रोन्नत नहीं होता है, तो छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। शेष बचे विषयों के पत्रों को उत्तीर्ण करने के लिए किसी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा (तथापि, अफगान छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक विशेष प्रावधान है)।
33. यदि कोई नया छात्र प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसकी छात्रवृत्ति एक वर्ष के लिए बंद कर दी जाएगी और उसे अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाना होगा। अगले वर्ष से, छात्रवृत्ति (द्वितीय वर्ष के अंत में) दोबारा आरंभ की जा सकती है, बशर्ते छात्र प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण हो। यदि छात्र दूसरी बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी और उसे स्ववित्तपोषित छात्र के रूप में अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा अथवा अपने खर्च पर, यदि वह ऐसा चुनाव करता है, अपने देश लौटना होगा। किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि से अधिक की अवधि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि किसी अन्य वर्ष में ऐसा होता है तो भी यही बात लागू होती है।
34. छात्र को भारत छोड़ने से पहले ए2ए (http://a2ascholarships.iccr.gov.in/home) पोर्टल के साथ-साथ भारत के पूर्व छात्र पोर्टल (https://indiaalumni.almaconnect.com) पर उपलब्ध पूर्व छात्र फॉर्म प्रपत्र भरना चाहिए। यह आईसीसीआर के पूर्व छात्रों को भविष्य में होने वाले आईसीसीआर क्रियाकलापों हेतु संपर्क में रहने में मदद करेगा और भविष्य में विदेशों में भारतीय मिशनों / पोस्टों के लिए पूर्व छात्रों के साथ जुड़े रहने में भी मददगार होगा।
35. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारत छोड़ने से पूर्व स्थानीय बैंक खाता बंद कर दिया गया है। यह निष्क्रिय बैंक खाते के दुरुपयोग से बचाव सुनिश्चित करेगा।
36. आईसीसीआर, भारत में निवास के दौरान आईसीसीआर के विद्वानों का कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। आईसीसीआर मुख्यालय और इसके अंचलीय/उप अंचलीय कार्यालय हमेशा अपने विद्वानों के सुझावों/प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं।

37. छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आयु सीमा

विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत छात्रों के लिए न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार है:-

पीएचडी - अधिकतम 45 वर्ष

स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर- 18 से 30 वर्ष

38. यह नियम पुस्तिका पिछले संस्करणों के उपबंधों का अधिक्रमण करती है और भारत में सभी मौजूदा आईसीसीआर विद्वानों पर लागू है। अनुपूरक विनियम/उपबंध समय-समय पर अलग से जारी/संसूचित किए जा सकते हैं

******